न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ...... एच०जे०एस०

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 36/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 307/2026]

[CNR No. UPFZ010007882026]

शुभम सिंह पुत्र जग मोहन सिंह, निवासी विवेक नगर, मकान नम्बर 2484/2, निकट मधुसूदन फील्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर।

.........आवेदक

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .... विपक्षी

---

1. आवेदक की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 36/2026, मुकदमा अपराध संख्या 127/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

2. आवेदक के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. आवेदक की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। मृतका अपने मायके ग्राम अंजरौली में रह रही थी, जहां उसके द्वारा दिनांक 10.06.2025 को आत्महत्या कारित की गयी। मृतका को शादी के काफी पहले से मानसिक समस्या थी और वह डाक्टर से इलाज करा रही थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। विवेचक उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत् है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

4. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शिव कुमार सिंह ने अपनी पुत्री आकांक्षा सिंह उर्फ रूचि सिंह का विवाह दिनांक 03.12.2023 को शुभम सिंह के साथ किया था। शुभम वादी की पुत्री से दहेज के रूप में पच्चीस लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिंह रूप से प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 10.06.2025 को दोपहर लगभग एक बजे वादी की पुत्री ने प्रताड़ना के कारण फांसी लगा ली। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.03.06 18:38:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नम्बर 715/2026 में पारित आदेश दिनांकित 30.01.2026 के अनुक्रम में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना अभिकथित है। दौरान सुनवाई वादी मुकदमा की तरफ से शपथपत्र मय समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार पक्षों में आपस में समझौता होना एवं गलतफहमी में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाना अभिकथित है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई जाहिरा चोट आना उल्लिखित नहीं है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई सारवान तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता कि यदि अग्रिम जमानत पर आवेदक को अवमुक्त जाए तो वह गवाहों को तोड़ेगा, प्रभावित करेगा, विवेचना/विचारण में हस्तक्षेप करेगा अथवा कहीं बाहर पलायित करेगा। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये अग्रिम जमानत का संतोषजनक आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 36/2026, मुकदमा अपराध संख्या 127/2025, अन्तर्गत धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 1,00,000 (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर निर्धारित शर्तों के अधीन मुकदमें के निस्तारण तक जमानत पर अवमुक्त किया जाए–

(i) आवेदक विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 06.03.2026